<u>न्यायालयः</u>— <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला</u>—अशोकनगर (पीठासीन अधिकारीः—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 1003392008</u> <u>दांडिक प्रकरण क.-339/08</u> संस्थापित दिनांक-16.07.08

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा	:		
 आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।			
		3	अभियोजन
विरुद्ध			
01—रतिराम पुत्र भम	रा आदिवासी	आयु ३० व	र्ष निवासी
ग्राम सूरेल, जिला अशोकनगर (म0प्र0)			
			आरोपी
राज्य द्वारा :– श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।			
आरोपी द्वारा	:– श्री के प	रन भार्गव अधि	भेवक्ता i

—ः <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 21.11.2017 को घोषित)</u>

01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 324,323,341,506बी34,427 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02— प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादवि की धारा 341,323,294 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 324,190 के संबंध में पारित किया जा रहा है।
- 04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी कुंदन ने दिनांक 05.06.08 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 04.06.08 को 17:00 बजे ग्राम सुरैल आरोपी ने फरियादी की पत्नी को बुरी बुरी गालियां दी तथा मना करने पर कुल्हाडी लाकर उसके साथ मारपीट की। फरियादी की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी ने उसकी पत्नी के साथ भी मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक 193/08 के अंतर्गत भादिव की धारा 324,323,34,506बी,294,427 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 05— प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 341,294,323,324,190 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया।
- 06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
 - 1. क्या आरोपी ने दिनांक 04.06.08 का 17:00 बजे ग्राम सरेल में फिरयादी कुंदन की स्वेच्छया धारदार अस्त्र से मारपीट कर उपहित कारित की ?
 - क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने फरियादी कुंदन को लोकसेवक स संरक्षा से आवेदन करने से विरत रहने के

लिये जान से मारने की धमकी दी ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

- 07— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्विलत है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 से 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 02 गुडडीबाई, अ.सा.1 डॉ एस पी सिद्धार्थ, अ.सा.3 गोराबाई की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।
- 08— अभियोजन साक्षी 02 गुडडीबाई ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनाक को उसका आरोपी से वाद विवाद हो गया था तथा धक्का मुक्की हो गई थी जिसके सबंध में उसने रिपोर्ट लेखवद्ध करा दी थी। अ.सा.1 के अनुसार पुलिस ने प्र0पी03 की लिखापढी की थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने कुल्हाडी से मारपीट की थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी थी। उक्त साक्षी ने इस बात से मी इंकार किया है कि आरोपी से कुल्हाडी जप्त की गई थी। अ. सा.3 गोराबाई भी पक्षद्रोही हो गई है। उक्त साक्षी ने भी अभियोजन की कहानी का सर्मथन नहीं किया है।
- 09— अ.सा.1 डॉ एस पी सिद्धार्थ अपने कथन मे बताया है कि उन्होंने कुदन का मेडिकल परीक्षण किया था जिसमें उन्होंने उसके शरीर पर चोटे पाई थी। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में फरियादी की मृत्यू हो गई है तथा उसकी ओर से उसकी पत्नी अ.सा.2 ने राजीनामा किया है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अ.सा.2 की साक्ष्य से यह प्रकट हो रहा है कि अ.सा.2 जो कि अभियोजन के अनुसार घटना की चक्षुदर्शी साक्षी है पक्षद्रोही

हो गई है तथा उसने अभियोजन की कहानी का कोई सर्मधन नहीं किया है। उपरोक्त साक्षी के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी ने अभियोजन की कहानी का सर्मधन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है अभियोजन यह प्रमाणित करने मे असफल रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा फरियादी एवं आहत की कुल्हाडी से मारपीट की गई। अभियोजन यह भी प्रमाणित करने मे असफल रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा फरियादी लोक सेवक की संरक्षा से रोकने के लिए जान से मारने की धमकी दी गई।

- 10— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 324,190 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 11- आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
- 12— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुल्हाडी मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे , अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।
- 13— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी 5

चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)